



## मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.) - 462016

☎(0755)2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail:it\_mppcb@rediffmail.com, www.mppcb.nic.in

एनजीटी-समय सीमा

कमांक 434 /प्रनिबो /तक/एनजीटी-141/2021, भोपाल, दिनांक 01/02/2021


प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
भोपाल/छिन्दवाड़ा/देवास/इन्दौर/उज्जैन/मंडीदीप/  
सागर/सतना/रीवा/कटनी/सिंगरौली/शहडोल/  
जबलपुर/गुना/ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण ओ. ए. नम्बर 141/2014 (सलोनी सिंह एवं अन्य विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) के अन्तर्गत रेल्वे स्टेशन को जारी की जाने वाली सम्मति बावत्।

संदर्भ :- 1. क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर का पत्र कमांक 1526, दिनांक 28/10/2020  
2. बोर्ड कार्यालय आदेश कमांक 2130, दिनांक 22/08/2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत रेल्वे स्टेशन जिसमें रूपये 10 करोड़ या उससे कम का कुल विनिधान (without depreciation) हो, को जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत स्थापना सम्मति/उत्पादन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण जारी तथा परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार तथा प्राधिकार नवीनीकरण जारी करने हेतु सम्बंधित क्षेत्रीय अधिकारी अधिकृत है। कृपया सुनिश्चित करें कि आवश्यक जल, वायु एवं परिसंकटमय व्यवस्था पूर्ण होने पर ही उपरोक्त कार्यवाही की जावे।

  
(ए. ए. मिश्रा)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

विधि अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।